पत्रांक–01 / गै0प्रा0आ0–01 / 2010 / .... / आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार, भा0प्र0से0,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार ।

पटना–15, दिनांक–

विषयः– **बिना पोस्टर्माटम रिपोर्ट एवं एफ0आई0आर0 के अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु मार्ग दर्शन देने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य के कतिपय जिलों द्वारा घटित प्राकृतिक एवं गैर प्राकृतिक आपदा से मृत्यु की स्थिति में बिना पोस्टर्माटम रिपोर्ट एवं एफ0आई0आर0 के अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु मार्ग दर्शन की माँग की जाती है।

इस संबंध में विभागीय पत्रांक–3601 दिनांक–28.09.2016 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है कि प्राकृतिक एवं गैर प्राकृतिक आपदा से मृत्यु की स्थिति में कतिपय वैसे मामले जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं है, वैसी स्थिति में मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान तभी देय होगा, जब जिला पदाधिकारी स्वंय संतुष्ट हो ले कि मृत्यु प्राकृतिक अथवा गैर प्राकृतिक आपदाजनित कारण से हुई है। तद्नुसार अनुमान्य अनुग्रह अनुदान के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–

(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–.........3825.........../आ0प्र0, पटना–15 दिनांक– 26/10/16.

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

D:\2016\sanjay sinha\Natural disaster\letter 21-10-2016 spe sec..docx

(17)

पत्रांक—01 / प्रा0आ0—05 / 2016 / .... / आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार, भा0प्र0से0,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सीतामढ़ी।

पटना—15, दिनांक—

विषयः— **अनुग्रह अनुदान के मार्गदर्शन के संबंध में।**

प्रसंगः— जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, सीतामढ़ी का पत्रांक—571 दि0—10.08.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि प्राकृतिक अथवा गैर प्राकृतिक आपदा से मृत्यु की स्थिति में कतिपय वैसे मामले जिसमें पोस्टमार्टम रिर्पोट एवं एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं है, वैसी स्थिति में मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान तभी देय होगा, जब जिला पदाधिकारी स्वंय संतुष्ट हो लें कि मृत्यु प्राकृतिक अथवा गैर प्राकृतिक आपदाजनित कारण से हुई है। तद्नुसार अनुमान्य अनुग्रह अनुदान के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

~~अनु0—यथोपरि~~

विश्वासभाजन

ह0 / —

(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक—.........3607......... / आ0प्र0, पटना—15 दिनांक— 28/9/16.

प्रतिलिपि—सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

D:\2016\sanjay sinha\Natural disaster\letter 26-09-2016 spe..sec..docx